कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2858 /11–सी–FP/UP/RAIL/44309/2020, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 08 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– भटनी–औड़िहार रेलवे लाइन (कुल किमी0 1.00 से 125.00 तक) के दोहरीकरण में देवरिया वन प्रभाग में प्रभावित 38.8283 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2052 वृक्षों का पातन, बलिया वन प्रभाग में प्रभावित 33.29 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2172 वृक्षों का पातन, मऊ वन प्रभाग में प्रभावित 29.5769 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1049 वृक्षों का पातन एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 61.1824 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1442 वृक्षों का पातन अर्थात कुल प्रभावित 162.8776 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 6715 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/07/93/2021/एफ0सी0/556, दिनांक 02.12.2021 एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी का पत्रांक–2531/29–1, दिनांक 28.03.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के उपरोक्त पत्रांक–2531/29–1, दिनांक 28.03.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन ''परिवेश'' पोर्टल पर अपलोड कर दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2858 /11–सी–FP/UP/RAIL/44309/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी एवं आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ।
3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया, बलिया, मऊ एवं गाजीपुर।
4. प्रबन्धक (सिविल), रेल विकास निगम लि0, कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक–III नियर–डी0आर0एम0 आफिस, लहरतारा, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

8/4

Acy-378